

संक्षिप्त समाचार

बच्चों ने किया मुंशी प्रेमचंद को स्मरण



आरंग। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरौदा में साहित्य समाप्त मुंशी प्रेमचंद की जयती के अवसर पर स्मरण किया इस अवसर पर बच्चों ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पढ़कर उनके व्यक्तित्व के उनके साहित्य में योगदान के बारे में जाना। वहाँ वरिष्ठ शिक्षक महेन्द्र कुमार पटेल व बच्चों को संवाधित करते हुए मुंशी प्रेमचंद के संघर्षमय जीवन व उनके साहित्य में योगदान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा मुंशी प्रेमचंद का जीवन बहुत ही संघर्षमय होते हुए साहित्य में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने लगभग 300 कवीनां, कई उपन्यास व नाटक लिखे जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

इस अवसर पर संस्था प्रमुख के परमाल वरिष्ठ शिक्षक अशोक कुमार चंद्राकर, सूर्यकांत चंद्राकर, डिलेशर साहू, शिक्षिका श्रीमती संसीला पाटल सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने मुंशी प्रेमचंद की जयती में भाग लिया।

रिलीफ ट्रेन के यात्रियों को पहुंचाई गई हर संभव सहायता



रायपुर (दैनिक विश्व परिवार)। रेलवे प्रशासन द्वारा 30 जुलाई को चक्रधर्पुर मंडल में हुए दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन 12810 हावड़ा-सीएसमटी के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने हेतु 02810 स्पेशल रिलीफ ट्रेन चलाया गई 7 यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को बेहतर चिकित्सा, एवं साफ सफाई की उचित व्यवस्था उल्लंघन कराने हेतु रायपुर मंडल रेल प्रशासन द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए।

मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार निवेदियों के नेतृत्व में रिलीफ ट्रेन के यात्रियों की सहायता हेतु विशेष प्रबंधन किया गया 7 रिलीफ ट्रेन के यात्रियों को हर संभव मदद पहुंचाने हेतु विभिन्न विभागों के साथ ही दूसरे मंडलों से भी समन्वय स्थापित किया गया। साफ सफाई से लेकर जरूरी चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था की गई। रायपुर स्टेशन के पर रिलीफ ट्रेन के यात्रियों की सहायता एवं आवश्यकता हेतु वाणिज्य व्यवस्था वरिष्ठ अधिकारी अविंश्च कुमार साव, अपने कर्मचारी दल के साथ उल्लंघन रहे डॉकरों की टीम द्वारा सभी कोवों में जाकर जरूरतमंद सभी यात्रियों को मरहम-पट्टियाँ लगाई गई साथ ही दर्द निवारक दवाइयाँ भी प्रदान की गई। प्लेटफार्म में भी चोटिल एवं घायल यात्रियों का उपचार किया गया। 7 इस दौरान आवश्यक दवाइयाँ भी प्रदान की गई। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बड़ों की अतिरिक्त टुकड़ियाँ तैयार की गई थीं 7 बेहतर स्वच्छता हेतु ट्रेन के सभी कोवों की तुरंत साफ-सफाई भी करवाई गई। रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए इस सेवा कार्य की यात्रियों तथा उनके प्रियजनों द्वारा सराहना की गई।

राजधानी में कल उद्योग श्री सम्मान समारोह का आयोजन

रायपुर। राजधानी रायपुर के मैनेटो मॉल सभी स्थित वुड केस्टल में 1 अगस्त को शाम 4 बजे शगुन फार्डेन एवं छत्तीसगढ़ महिला मंच के संयुक्त तत्वाधार में छ्यांगी श्री समान समारोह एवं प्रदर्शनी उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांग मौजूद रहेंगे। वहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री सरोज पांडे द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के संयोजक शताब्दी सुनीष धार्दी निवेदियों के अध्यक्ष विजय अतिथि के रूप में डॉनीश्वरी बोर्डरे, विजय अतिथि के रूप में सांसद प्रदीप गांधी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल एवं प्रदेश महामंत्री यश श्रीवास्तव, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अज्ञात कालीन भवन में विभिन्न समाजीकरण एवं समाजीकरण के प्रतीक चंद्र तथा उनके प्रियजनों की उद्योगी शामिल होंगे। वहाँ 1 से 4 अगस्त तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में दर्शकों के लिए फ्री एंट्री है।

स्टील उत्पादकों ने ऊर्जा प्रभार में बढ़ी छूट से बकाया अपना मार्जिन

रायपुर (दैनिक विश्व परिवार)। सरकारें जब किसी और दर 33,833 रु. प्रति टन थी उद्योग को जब कोई रियायत, छूट या सम्बिद्धी देती है तो उनका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उत्पादन बढ़े और इसका अंतिम लाभ आम जनता के लिए उत्पादन दरों से सक्षम हो जाए। इसके बायोपक उद्योगिताओं के खते में लाभ का उद्योग सम्बिद्धी देती है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादन के अंतिम वर्ष 5 वर्षों के अंकड़ों को देखा जाए तो इसका विवरण दर्शाता है। छत्तीसगढ़ राज्य इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि देश के कुल विरोधाधारी स्तरीय नजर आती है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

थी। वर्ष 2020-21 में 112 मिलियन टन उत्पादन हुआ जबकि औसत वार्षिक दर 45,072 रु. प्रति टन थी। वर्ष 2021-22 में 118 मिलियन टन उत्पादन हुआ जबकि औसत वार्षिक दर 51,089 रु. प्रति टन थी। वर्ष 2022-23 में 125 मिलियन टन उत्पादन हुआ जबकि औसत वार्षिक दर 53,036 रु. प्रति टन थी। वर्ष 2023-24 में 142 मिलियन टन उत्पादन हुआ जबकि औसत वार्षिक दर 50,109 रु. प्रति टन थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हमारी खदानों के लिए वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता को यह

अपेक्षा रहती है कि हमारी खदानों, हवा, पानी और सरकारी मदद का लाभ जनता को सस्ते लोहे के रूप में मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत दर का गड़बड़ाता सामने आते ही लोग हैरान-परेशान हो रहे हैं। देश में स्टील उत्पादन के अंकड़ों में 125 छत्तीसगढ़ के 30 प्रतिशत का लाभ आकलन दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में देश की सर्वाधिक गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानों हैं। आम जनता क

संपादकीय

दुकानदारों के नाम सार्वजनिक समाज में विभेद पैदा हो रहा...

कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दो जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि खाना बेचने वालों को यह बताना जरूरी है कि वे किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उस पर मालिक या कर्मचारियों का नाम सार्वजनिक करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता। पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि आदेश का अनुपालन स्वैच्छिक है, लेकिन इसे बलपूर्वक लागू किया जा रहा है। प्रमुख विषक्षी दलों द्वारा इसकी निंदा की गई तथा इसे विभाजनकारी कदम बताया। इस आदेश से समानता के अधिकार, अस्पृश्यता, भेदभाव का निषेध तथा कोई भी व्यापार करने के अधिकार का हनन कहा गया। वर्षों से चली आ रही यात्रा पर पहले कभी इस तरह के कोई आदेश नहीं जारी किए जाते रहे हैं। कांवड़ मार्ग में आने वाले ढाबे/रेहड़ी स्वयं प्रचार करते हैं कि उनके यहां शुद्ध वैज्ञाव भोजन मिलता है। दूसरे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (एफएसएपआई) व स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जैसे कानून पहले ही मौजूद हैं। जो खाद्य पदार्थे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करते हैं। बाजार में मिलने वाले भोज्य पदार्थ स्वच्छ हों, उनमें किसी तरह की मिलावट या गंदगी न हो, यह जांचना स्थानीय प्रशासन का काम है। सवाल सिर्फ कांवड़ श्रद्धालुओं का ही नहीं है बल्कि यह हर उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे शुद्ध-स्वच्छ खाना मिले। बीते कुछ सालों से राज्य सरकारें कांवड़ यात्रा में विशेष रुचि ले रही हैं, जबकि इन्हीं राज्यों में और भी तीर्थ स्थल हैं, जो बुरी तरह उपेक्षित हैं या वहां किसी तरह की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। हम सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही नहीं हैं बल्कि हमारी संस्कृति हमें सहिष्णुता व भाई-चारा भी सिखाती है। इस तरह के आदेशों से कारोबार बाधित होता है और नीचे के वर्ग को रोजगार या दिवाड़ी से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही समाज में विभेद पैदा होगा। इस आदेश का सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व गरीब दुकानदारों को होता, जो रोज कमाने-खाने वाले हैं। राज्य सरकारों को अदालत के हस्तक्षेप से पूर्व ही विचारपूर्वक निर्णय लेने की आदत डालनी होगी।

विशेष लेख

पानी के लिए महिलाओं को दिन भर खटना.....

भारत डोगर

हाल के विकास कार्यक्रमों में हर घर जल की योजना विशेष तौर पर चर्चित रही है, विशेषकर दूर-दूर के गांवों के संदर्भ में। इन गांवों के परिवारों और विशेषकर महिलाओं के समय का एक बड़ा भाग परिवार की पानी की जरूरतों को पूरा करने में ही जाता रहा है। दिन भर प्रयास करने के बाद भी कई बार पानी जैसी बुनियादी जरूरत की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती थी और गर्मी के दिनों में तो जैसे जल-संकट का हाहाकार ही मच जाता था। इस स्थिति में जब भारत सरकार ने हर घर में नल का जल पंहुचाने की समयबद्ध योजना आरंभ की तो स्वाभाविक ही था कि इस योजना से बहुत उम्मीदें जुड़ गईं। आज स्थिति यह है कि कहीं इस जल जीवन मिशन की उपलब्धि का उत्साह है तो कहीं अनेक समस्याओं को लेकर चिंता भी है। उपलब्धि और कठिनाइयों के बीच गांव किस स्थिति में है, यह जानने के लिए इन पंक्तियों के लेखक ने हाल में निवाड़ी जिले (मध्य प्रदेश) के अनेक गांवों का दौरा किया। यह बुद्देलखंद क्षेत्र, विशेषकर गर्मियों के दिनों में, जल-संकट के लिए चर्चा में रहा है। यह सत्रेक्षण भीषण गर्मी के दिनों में किया गया और मौसम सुधरने पर इससे बेहतर स्थिति सामने आएगी। इस क्षेत्र में सुखद स्थिति यह है कि गंव-स्तर की जल समितियों के स्तर पर अनेक गांववासी खुल कर अपनी समस्याओं को

सत्ता के लिए समर्थन जुटाता बजट

योगेंद्र योगी

बजट पेश होते ही महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुरु की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने निशाना साधा कि यह बजट नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बचाओ योजना का हिस्सा है। राज्य के विकास के लिए न कोई योजना न कोई फंड, महाराष्ट्र की उपेक्षा क्यों की गई मतदाताओं से सौदेबाजी करने में देश के सारे राजनीतिक दल एक जैसे हैं। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल न सिर्फ हार का बल्कि जीत का हिसाब-किताब चुकता करने से नहीं चूकते। केंद्रीय बजट 2024 में ऐसा ही कुछ चुनावी राज्यों के साथ हुआ है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके, बजट में उन्हें तो कुछ भी हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, केंद्र सरकार ने उनको भी अंगूठा दिखा दिया हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि इस बजट में देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों में संतुलन स्थापित किया गया है। इससे देश का सामूहिक और समान विकास होगा। इस बजट का ज्यादातर हिस्सा बिहार और आंध्रप्रदेश में चला गया। इससे बिगड़े संतुलन ने बाकी राज्यों का हिसाब बिगाड़ दिया। यह बजट गठबंधन की मजबूरी का बन कर रह गया, जिसमें बड़ा हिस्सा सिर्फ दो राज्यों तक सीमित होकर रह गया। गोरतलब है कि केंद्र की मौजूदा सरकार आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलगूदेशम और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल युनाइटेड की बैसाखियों पर टिकी हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों ने विशेष राज्यों का दर्जा देने की मांग पर दबाव डाला। केंद्र ने इसकी पूर्ति बजट में अलग योजनाओं के लिए प्रावधान करके कर दी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट तो पेश कर दिया, लेकिन अनुमान के मुताबिक बिहार और आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार का बजट गड़बड़ा दिया। बजट के बड़े हिस्से पर इन दोनों राज्यों का कब्जा हो गया है। बिहार को कुल 58 हजार करोड़ तो आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ का विशेष पैकेज का ऐलान करना पड़ा। बजट पर गठबंधन सरकार का असर साफ दिखा।



बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु बाजी मार ले गए। एनडीए सरकार ने फिल्हाल दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेट्स तो नहीं दिया, लेकिन उसके बदले सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके एवज में उन राज्यों को नजरअंदाज करना पड़ा है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जोकि बीजेपी या एनडीए के लिए काफी अहम हैं। केंद्रीय बजट में चुनाव वाले राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र या झारखण्ड ही नहीं, बल्कि कई और अहम क्षेत्रों के लिए घोषणा नहीं हो सकी। बिहार-आंध्र के लिए विशेष पैकेज का असर यहां भी दिखा। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद थी कि बजट में नई ट्रेनों का ऐलान होता, लेकिन नहीं हुआ। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखण्ड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं। इन राज्यों के लिए बजट मिलना तो दूर, कोई उम्मीद भी नहीं जगी। लोकसभा चुनावों में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बोट छिटकने की चिंता भी नजर नहीं आई। अन्य पिछड़ी वर्ग या अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए कोई खास योजना नजर नहीं आई। उम्मीद की जा रही थी कि उपचुनावों और 3 राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में

A portrait of a woman with grey hair, wearing a blue and white patterned sari, smiling. She is standing next to a man in a suit and tie. The background is slightly blurred.

ठोस कचरे के समाधान को मिले प्राथमिकता

सत्यपाल वारिष्ठ

अगर इस ओर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत को पश्चिमी देशों से सीख लेकर 'वेस्ट से कमाई' की तरफ जाना चाहिए। इस क्षेत्र में रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, शहरीकरण भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय गांव भी विकसित करस्कों का रूप ले रहे हैं। लोगों के उपभोग का पैटर्न भी बदलता जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि ठोस अपशिष्ट भी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। अगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ओर समय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या गंभीर रूप धारण कर लेगी। इसलिए सभी हितधारकों को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आगे आना होगा। भारत में विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या है और यह वैश्विक नगरपालिका अपशिष्ट का 12 प्रतिशत हिस्सा उत्पन्न कर शीर्ष 10 देशों में है। प्रतिदिन 621000 टन कचरा पैदा करके अमेरिका सबसे आगे है। शीर्ष 10 कचरा पैदा करने वाले देशों में चार विकासशील देश हैं—ब्राजील, चीन, भारत और मैक्सिको। इसका मुख्य कारण शहरी आबादी का बढ़ता आकार है। शहवासी उच्च उपभोग वाली जीवन शैली अपना रहे हैं। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्वीडन ने मिसाल कायम की है। दि एनर्जी एंड रिसोर्स मिलियन टन (70 प्रतिशत) एकत्रित किया जाता है जिसमें से 12 मिलियन टन का ही सही ढंग से निपटान होता है और 31 मिलियन टन को लैंडफिल साइट पर डाल दिया जाता है। उपभोग के बदलते पैटर्न, जनसंख्या का बढ़ता आकार और तेजी से बढ़ते अर्थिक विकास के साथ अनुमान है कि 2030 तक शहरी ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़कर 165 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। अगर इस ओर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत को पश्चिमी देशों से सीख लेकर 'वेस्ट से कमाई' की तरफ जाना चाहिए। इस क्षेत्र में रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। भारत और जर्मनी के बीच जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता 2019 में हुआ। दोनों पक्षों ने समुद्री कूड़े, अपशिष्ट से ऊर्जा (भूमीकरण), जैव मिथेन, कचरा ढलाव, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण आदि को हाथ बढ़ाया है, जो निश्चित तौर पर कचरा प्रबंधन में बहुत सहायक होगा और यह आवश्यक भी है। अब समय आ गया है कि भारत को इस समझौते का भरपूर फयदा उठाना चाहिए क्योंकि जर्मनी कचरा प्रबंधन में विश्व में पहले पायदान पर है। इससे रोजगार के अवसर भी सुजित होंगे, संसाधन संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा तथा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी तथा खाद, बायोगैस तथा बिजली उत्पादन में सहायता

मिलेगी। भारत को स्वीडन की रीसाइकलिंग प्रणाली का भी अध्ययन करना चाहिए जो इतनी कुशल है कि उस देश में कचरा लगभग समाप्त हो गया है। वह अपनी आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करता है। स्वीडन के लोग प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं और जानते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दों पर क्या करना चाहिए। इन लोगों को जागरूक करने के लिए लंबा समय लगा, कि चीजों को बाहर न फेंकें ताकि उन्हें रीसाइकिल और पुनः उपयोग किया जा सके। कॉलोनियों में स्वचालित वैक्यूम सिस्टम हैं जो संग्रह/परिवहन की आवश्यकता समाप्त करते हैं। स्वीडन में भूमिगत कंटेनर सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है। ये सड़कों पर कई जगह उपलब्ध होते हैं और दुर्गंध से बचा जा सकता है। यहां जो मिशन है, लोगों को कचरे के रीसाइकलिंग के लिए भेजने से रोकना है। भारत में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। परंतु भारत के अन्य शहरों जैसे हैदराबाद, बंगलुरू आदि में स्थिति संतोषजनक नहीं है। हालांकि भारत में ठोस अपशिष्ट से निपटने के लिए नियम लागू हैं जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भी शामिल हैं, जिसके अंतर्गत देश भर में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से निकले जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन होता है। इन नियमों के होते हए भी ठोस अपशिष्ट का निपटान सही नहीं हो रहा है। इन नियमों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी को आंकड़े दिए थे, जिनके अनुसार ओखला लैंडफिल साइट पर 2019 तक 60 लाख टन पुराना कचरा ढंप किया गया था, जो अब और बढ़ा है। यह चिंतनीय है। हाल ही में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए अपनाए जा रहे अपर्याप्त उपायों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उच्चतम न्यायालय ने ध्यान दिलाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 11000 टन ठोस कचरे में से लगभग 3800 टन कचरे का उचित निपटान नहीं किया जाता है। इस अनुपचारित अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा लैंडफिल में जमा हो रहा है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके समाधान के लिए दिल्ली नगर नियम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया है और स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली को प्रमुखता से इंदौर, जर्मनी, स्वीडन की ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली का गहन अध्ययन कर इहें अपनाना चाहिए। देश में कुल 3842 स्थानीय नगर निकाय हैं जिनमें 247 नगर नियम, 1500 नगरपालिकाएं, 2100 नगर पंचायतें और 56 छावनी बोर्ड तथा 263274 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें कुछ को छोड़ कर अधिकतर निकायों में कचरा प्रबंधन के लिए स्वचालित अपशिष्ट पुनर्चक्रण मरीने नहीं हैं। सरकार को सभी निकायों में आधुनिक मशीनें लगाकर शून्य अपशिष्ट का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

आरक्षण भारतीय राजनीति की धुरी.....

डॉ. आशुतोष कुमार

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान में आरक्षण के प्रावधान को शामिल किया था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आरक्षण एक समय भारतीय राजनीति की धूरी बनकर राजनेताओं के लिए एक अमोघ मंत्र बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल किसी के कल्याण के लिए कम और किसी को परास्त करने के लिए ज्यादा किया जाएगा। आज आरक्षण के पीछे किसी पिछड़े या वंचित समाज के कल्याण की भावना कम और राजनीतिक स्वार्थ अधिक दिखती है। सही मायने में आज आरक्षण राजनीति का झुनझुना बन गया है, जिसे चुनाव जैसे विशेष मौकों पर जनता को रिखाने के लिए बजाया जाता है। बहरहाल, आरक्षण एक बार फिर चर्चा में है। आरक्षण को लेकर चर्चा के केंद्र बिंदु में है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पहले एक पोस्ट की थी, जिसे बाद में उन्होंने हटा लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया है कि कैविनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50 प्रतिशत और गैर-प्रशासनिक पदों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण तय करने वाले विधेयकों में जूरी दी। सिद्धारमैया ने पोस्ट में कहा था, 'हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपनी जमीन पर आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान



रखना है। उन्हें कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित होने से बचाया जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नडिङास के कल्याण की देखभाल करना है। जब उनके इस पोस्ट पर इस पर हर तरफ छीछालेदर होने लगा। विरोध में प्रतिक्रियाएं आने लगीं, तो दो दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर से पिछली पोस्ट हो हटाकर उसमें बदलाव कर दिया। कर्नाटक सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी, लेकिन यहां मौजूद सवाल यह है कि अखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? कहीं आरक्षण की आड़ में देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? अगर नहीं, तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश की एकजुटता और अखंडता पर प्रहर

क्यों किया जा रहा है। आमतौर पर इस तरह की कोशिश क्षेत्रीय दल की सरकार में की जाती है क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने को उस राज्य के प्रति ज्यादा उत्तरदायी समझते हैं, जहां उनकी सरकार होती है। हालांकि इस तरह की सोच भी देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक है। फिलवक्त कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर सिद्धारमैया सरकार ने ऐसी संकीर्ण मानसिकता क्यों दिखाई। जाहिर तौर पर इससे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को नुकसान उठान पड़ेगा, लेकिन यहां चिंता का विषय कांग्रेस का नुकसान नहीं, अपितु राष्ट्र का और देश के संघीय ढांचे के नुकसान को लेकर है। अगर सभी राज्य सरकारें अपनी मर्जी की मालिक हो जाएंगी, तब तो देश का स्वरूप ही बिखर जाएगा। देश है, देश का एक स्वरूप है, उसकी अस्मिता है, तभी आरक्षण है यह कहना गुलत न होगा कि भारत में आरक्षण की

व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी, मगर समय के साथ आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनती चली गई और अब तो स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आरक्षण की आंच देश की संघीय व्यवस्था पर भी आने लगी है। किसी राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए देश के स्वरूप और उसके संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। यह सहज ही समझा जा सकता है कि जब सभी राज्य सिर्फ अपने प्रदेश के लोगों को नौकरी देने लगेंगे। वहां के प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ उसी राज्य के लोगों को रखा जाने लगेगा, तब भारत एक संघ रह जाएगा क्या? इसलिए राजनीतिक दलों और राज्य की सरकारों को यह जरूर सोचना होगा कि वे अपने प्रदेश के विकास की बात जरूर सोचें, प्रयास जरूर करें कि प्रदेश के लोगों को अपने ही राज्य में रोजी-रोजगार मिले, किंतु इसका भी ख्याल रखें कि देश की समावेशी संस्कृति को नुकसान न पहुंचे। भारतीय संविधान के भाग तीन में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वहीं, अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गे को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है।

स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य जांच करवाना करें सुनिश्चित : क्लेव्टर

कलेक्टर मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली



सहायता योजना, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों और हिंतग्राही मूलक कार्य की प्रगति, सांसद निधि-विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न समाग्रियों की भौतिक सत्यापन, पीडीएस बारदाना संग्रहण, विकासखण्डवार भण्डारण की जानकारी ली। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के उल्लास पोर्टल में विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का विकासखण्डवार एन्ट्री की स्थिति की समीक्षा की, साथ ही शाला त्यागी अप्रवेशी छात्रों की स्थिति में आकांक्षी ब्लॉक तोकापाल में सर्वे के आधार पर शाला त्यागी बच्चों को विशेष फोकस करने की आवश्यकता बताई।

किशोरों में भी नशे की लत पर अंकुश लगाना बेहद आवश्यक : कलेक्टर नीलेश कुमार

राहत व आपदा के प्रकरणों को तत्काल करें नियाकृत : कलेक्टर विजय दयाराम

कांकेर(विश्व परिवार)। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने आज बैठक लेकर जिले में नशे के विरुद्ध अभियानपूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कम उम्र के किशोरों में भी नशे की लत होती जारही है, जिस पर अंकुश लगाना बेहतर आवश्यक है। कलेक्टर ने बिनचिकित्सकीय सलाह के नशे की दवा अवैधरूप से बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स वे संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने वे निर्देश दिए। साथ ही खाद्य व औषधिप्रशासन विभाग के उप संचालक औनिरीक्षक को जिले में स्थित सभी 330 मेडिकल स्टोर्स में सतत दबिश देकर इसके जांच करने तथा बिना चिकित्सक पर्ची व नशे के तौर पर उपयोग की जाने वाली दवाएँ

करते हुए उनका नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्ति (लाइसेंस) निरस्त करने के लिए निर्देश दिया। बैठक में उप संचालक समाज कल्याण ने बताया कि केन्द्र सरकार व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान जिसे चलाया जा रहा है, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग के अधीन भारत मानवाधिकारों का गठन किया गया है। उक्त वाहिनी द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, आश्रम-छात्रावास सहित विभिन्न संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों व जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में भारत मानवाधिकारों का गठन किया जाना है, जिसके तहत

इसके लिए कल्याणी नामक गैर शासकीय संगठन द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया रहा है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर ने बताया कि जिले में कम जन के किशोरों में नशे का व्यसन बढ़ता जा रहा है, चूंकि ये अवयस्क होते हैं, ऐसे में उन विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती उन्होंने ऐसे किशोरों एवं उनके माता-पिता व काऊंसिलिंग कराए जाने पर जोर दिया। इस पर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग में पदाधिक मनोरोग चिकित्सक सहित विशेषज्ञों की टीम गठित कर काऊंसिलिंग कराने के निर्देश दिये। बैठक में ढीएफओ हेमचंद पहारे एवं ढी.पी.साहू अपर कलेक्टर एस.अहिरवार, जितें कुर्हे, जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल सहित सभी अनुभाग के राजस्व अनुविभागी अधिकारी और विभिन्न विभागों के जिला

विजय द्वाराम क. न कहा कि आबादी 6-4 के तहत राहत एवं आपदा से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशील होकर तत्काल निराकृत करें ताकि प्रभावित व्यक्तियों व समय पर सहायता सुलभ हो सके। कलेक्टर मंगलवार को जिला कार्यालय प्रेरणा सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों व सासाहिक समीक्षा बैठक ली। उन्हें अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की साफ-सफाई, रेट्रॉट-इंट, पोषण आहार, स्कूल पूर्वशिक्षा हें अध्ययन सामग्रीयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ बन अधिकार मान्यता पत्र में फौना नामांतरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व न्यायालय में सेटअप (मानव संसाधन) व भी आकलन कर आवश्यक जानकारी

राजस्व प्रकरणों का समय-सीर कार्ये जिएकायण : कलेक्टर

भूमिहार ब्राह्मण समाज ने मदर टेरेसा लाइफ्टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड र सम्मानित सफी संत कवि लेखक डॉक्टर जोहर का किया सम्मान

सुकमा(विश्व परिवार)। कलेक्टर हरिस्.एस ने कहा कि राजस्व संबंधी मामले आम नागरिकों के हितों से सीधी जुड़ा है। इसलिए राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में उचित निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी राजस्व विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को राजस्व प्रकरणों का निराकरण हेतु तपतरा के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिससे कि निर्धारित समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित की जा सके। साथ ही समय सीमा से बाहर के प्रकरणों को दस दिवस के भीतर में निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गाम त्रैग्रामोद में

लालमढ़गु की दूरी लगभग 35 किमी है, हाँ के ग्रामीणों को शासन की नकलत्याणकारी योजनाओं का शीघ्राभ दिलाने नजदीकी पंचायत में जोड़ने तु आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर द्वारा गलवार को कलेक्टरेट कार्यालय के भाक्षण में आयोजित समय-सीमा की ठक में शासन की योजनाओं सहित विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा नी गई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत नप्रता जैन, अपर कलेक्टर जेन्ड्र सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर और कश्यप एसडीएम सहित जिला पत्रीराय अधिकारी एवं कर्मचारीगण प्रस्तुत थे।

कलेक्टर कृष्णाल ददावत ने समय-सीमा बैठक में की विकास कार्यों की समीक्षा

आवेदनों के निराकरण डिलाई दिखाने पर सीएसईबी के ईई को नोटिस

कोंडागांव(विश्व परिवार)। कलेक्टर अर्था
कुणाल दुदावत ने मंगलवार को आयोजित
समय-सीमा बैठक में जिले में संचालित
विकास कार्यों की समीक्षा की। जिले
कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभाकाश में
आयोजित समय-सीमा बैठक में उन्होंने
मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन
जनशिकायत पोर्टल, मावा कोंडानार
ग्रामीण सचिवालय तथा जनसमस्याएँ
निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों की
आवेदनवार समीक्षा की। उन्होंने छत्तीसगढ़
गज्ज्य विद्यालय वितरण कंपनी दाग आवेदनों

A photograph showing five men seated behind a long, light-colored wooden conference table. From left to right: a man in a white shirt, a man in a light blue shirt, a man in a light blue vest over a white shirt, a man in a white shirt, and a man in a pink shirt. They appear to be in a formal setting, possibly a press conference or a corporate meeting. The room has a white wall in the background with two large air conditioning units mounted on it. A small framed picture hangs on the wall between the units.

प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रेषित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कार्य में गति लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ई-श्रमिक कार्ड धारी सभी हितग्राहियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगंनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सभी बच्चों को गर्म भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में भी निर्देशित किया। उन्होंने इस दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की और सभी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में केशकाल वन मंडलाधिकारी एन गुरुनाथन, कोंडागांव वन मंडलाधिकारी श्री आरके जांगड़, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चाली ठाकुर सहित जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।



महतारी वंदन योजना

खुशियों का नोटिफिकेशन

महतारी वंदन से मातृशक्ति का सम्मान
माँ को समर्पित है “एक पेड़ माँ के नाम”

1 अगस्त 2024

₹1000 की छठवीं किश्त जारी



प्रदेश की महतारियां
आज करेंगी
पौधरोपण

एक पेड़ के नाम

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

S - 40993 / 29



मुख्यमंत्री
श्री विष्णु देव साय
से जुड़ने के लिए
QR CODE स्कैन करें

हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे

विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़